



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1714]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 04, 2019/ज्येष्ठ 14, 1941

No. 1714]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 04, 2019/JYAISTHA 14, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2019

का. आ.1919(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) संशोधन आदेश, 2019 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 के, पैरा 6 के, उप-पैरा (1) में, "एक समय में एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक समय में तीन वर्ष" रखा जाएगा।

[फा. सं. टी-12016/1/2017-वागान (क)]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 472(अ) तारीख 20 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन किया गया :-

1. का.आ. 697 (अ) तारीख 23 जुलाई, 2001;
2. का.आ. 3318(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2016; और
3. का.आ. 2008 (अ) तारीख 18 मई, 2018.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 4th June, 2019

S.O. 1919(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Tea Warehouses (Licensing) Amendment Order, 2019.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, in paragraph 6, in sub-paragraph (1), for the words "one year at a time", the words "three years at a time" shall be substituted.

[F.No.T-12016/1/2017-Plant (A)]

B. PRAVEEN, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification number S.O. 472 (E), dated the 20th June, 1989 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 697 (E) dated the 23rd July, 2001;
2. S.O. 3318(E) dated the 25th October, 2016; and
3. S.O. 2008(E) dated the 18th May, 2018.